(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 356–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 403/अपील/2013–14.

1– रूस्तम खॉ पिता नन्नू खॉ
2– गफ्फार खॉ पिता नन्नू खॉ (मृत)
तर्फे वारिसान
(1) मेहराज बी पति गफ्फार खॉ
(2) गम्मु खॉ पुत्र गफ्फार खॉ
(3) रशीद खॉ पुत्र गफ्फार खॉ
(4) हुसैन खॉ पुत्र गफ्फार खॉ
3– अच्छू खॉ पिता नन्नू खॉ (मृत)
तर्फे वारिसान
(1) भूरीबाई पति अच्छू खॉ
(2) एहसान खां उर्फ काले खां
पुत्र अच्छू खॉ
(3) सोहेल खान पिता अच्छू खॉ अज्ञान
तर्फे पालनकर्ता माता भूरीबाई
4– जब्बार खॉ पिता नन्नू खॉ
5– बच्चीबाई पति नन्नू खॉ
6– नवाब खॉ पिता नन्नू खॉ
निवासीगण ग्राम रंगवासा
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मजीद खॉ पिता बच्चू खॉ
2– रईसा बी बेवा बच्चू खॉ
3– अफजल खॉ पिता सत्तार खॉ (मृत)
द्वारा वारिसान
(1) हुसैन बानो पत्नी अफजल खॉ
(2) सलीम खॉ पिता अफजल खॉ
(3) शहजाद खॉ उर्फ लालू पिता अफजल खॉ
4– कय्युम खॉ पिता याकूब खॉ
5– यासीन खॉ पिता याकूब खॉ
6– मुनीर खॉ पिता याकूब खॉ
7– मोहम्मद बशीर पिता याकूब खॉ
8– हफीज खॉ पिता याकूब खॉ

9– कल्लू खॉ पिता याकूब खॉ
10– आलिया बी पति याकूब खॉ
11– हैदर खॉ पिता युसूफ खॉ
12– छोटे खॉ पिता युसूफ खॉ
13– अंसार खॉ पिता युसूफ खॉ
14– युनुस खॉ पिता युसूफ खॉ
15– मुन्नवर बी पति युसूफ खॉ
16– इस्माईल खॉ पिता भूरे खॉ
तर्फे वारिस
(अ) इब्राहिम खॉ पिता इस्माईल खॉ
(ब) रईस खॉ पिता इस्माईल खॉ
(स) सैजाद खॉ पिता इस्माईल खॉ
(द) हुसैन बानो पति इस्माईल खॉ
17– जलीलाबाई पति भूरे खॉ
निवासीगण ग्राम रंगवासा
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री अरूण मानकर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पंकज अजमेरा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बेटमा के समक्ष ग्राम बदीपुरा स्थित सर्वे कमांक 194/1, 195, 202, 205, 231, 232, 235/3 एवं 238 कुल सर्वे नम्बर 8 कुल रकबा 4.769 हेक्टेयर भूमि के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 70/अ–27/2012–13 दर्ज कर दिनांक 29–6–2013 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–6–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की

गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–3–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होना मान्य किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है, जबकि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वत्व सम्बंधी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त के समक्ष स्वत्व सम्बंधी आपत्ति लेने का कोई विधिक अधिकार अनावेदकगण को नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित कर समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 9 द्वारा सामूहिक तौर से सहखातेदार आवेदकगण की सहमति लिये बिना भूमि का आममुख्त्यार पत्र उप पंजीयक से पंजीकृत कमांक 457 दिनांक 4–1–2012 से भगवान सिंह पिता फतेसिंह बंजारा को किया गया है, इसलिए शेष भूमि पर अनावेदकगण का कोई हिस्सा, स्वत्व व हक्क नहीं है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि तहसीलदार सह भूमिधारकों की सुनवाई करने के पश्चात खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रकाशित कर सकेगा, उसी अनुसार तहसीलदार द्वारा बटवारा स्वीकृत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा कानूनी त्रुटि की गई है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा यह मानने में कानूनी त्रुटि की गई है कि तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर स्वत्व का प्रश्न उठाया गया था, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को तीन माह के लिए प्रकरण स्थगित करना था, जबकि अनावेदकगण द्वारा अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को पंजीकृत मुख्त्यारनामें के आधार पर आवेदकगण की सहमति लिये बिना ही उनके कब्जे की भूमि को विक्रय कर दिया था । ऐसी स्थिति में आवेदकगण को शेष बची हुई भूमि पर कोई स्वत्व हक्क व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है ।

(6) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष स्वत्व सम्बंधी आपत्ति उठाने के सम्बन्ध में कोई आधार अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व माना जा सके, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा तीन माह के लिए प्रकरण स्थगित किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह कानूनन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की कोई स्थिति कभी निर्मित ही नहीं हुई है ।

(7) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने नियमों का सही पालन नहीं करने में कानूनी त्रुटि की गई है ।

(8) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6–10–2012 को आपत्ति मानी गई है, जबकि उस दिनांक को तारीख नियत नहीं थी । अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा दिनांक 26–10–2012 को मूल आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया, इस तथ्य को न समझते हुए आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–3–2015 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण होने तक तहसील न्यायालय को बटवारा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी आधार लिया गया है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया है, जो प्रचलित है । तर्क के समर्थन में व्यवहार वाद की प्रति प्रस्तुत की गई ।•अन्त में यह आधार उठाया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के वारिसान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मात्र इस आधार पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये हैं कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उठने पर तहसील न्यायालय को तीन माह के लिए

कार्यवाही स्थगित करना चाहिए था, जबकि अपर आयुक्त को यह देखना चाहिए था कि प्रकरण कई वर्षों से चल रहा है । सम्बन्धित पक्षकार के पास व्यवहार न्यायालय में जाने का पर्याप्त समय था, किन्तु सम्बन्धित पक्षकार द्वारा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को अपील का निराकरण गुण–दोष पर करना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं करने में उनके द्वारा त्रुटि की गई है । अतः प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है !

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर